

अनुदान संख्या 21 – रक्षा पेंशन
GRANT No. 21 - DEFENCE PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
<i>प्रभारित-</i>	<i>Charged-</i>			
मूल	<i>Original</i>	5,90,00		
		7,31,00	7,83,23	+52,23
पूरक	<i>Supplementary</i>	1,41,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			शून्य Nil
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>	133819,10,00	128058,04,69	-5761,05,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			4826,41,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के प्रभारित अंश में, यद्यपि फरवरी, 2021 में ₹141.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त किया गया, लेकिन व्यय स्वीकृत विनियोग से ₹52.23 लाख तक अधिक हो गया। (वास्तविक अधिक व्यय ₹5222461.00) था। अधिक व्यय के लिए संसद द्वारा अधिक अनुदान मांग की स्वीकृति के विनियमन की आवश्यकता है।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, although supplementary *appropriation* of ₹141.00 lakhs was obtained in February, 2021 the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by ₹52.23 lakhs (actual excess was ₹5222461.00). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Excess/Savings occurred under the following major head :-

कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
---	--	---

शीर्ष Head	Head
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits
मू.	O. 590.00
पू.	S. 141.00

(I) "रक्षा - थल सेना - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" के अंतर्गत - ₹58.44 लाख का अधिक व्यय (₹107.00 लाख के पूरक विनियोग सहित, ₹625.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) आशा से अधिक न्यायिक मामलों को निपटाने के कारण हुआ।

(I) Under "Defence-Army-Pension and other Retirement Benefits" - excess of ₹58.44 lakhs (against the total sanctioned appropriation of ₹625.00 lakhs including supplementary appropriation of ₹107.00 lakhs) was due to finalization of more court cases than anticipated.

2. उपर्युक्त अधिक व्यय ₹10.00 लाख की बचतों से प्रतिसंतुलित हो गया, जो कि दो शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

2. The above excess was offset by savings of ₹10.00 lakhs, which, remained wholly unutilised under two heads.

3. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

3. In the voted portion of the grant, saving/excess occurred under the following major head:-

मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits
मू.	O. 13381910.00
पु.	R. -482641.00

12899269.00	12805804.69	-93464.31
-------------	-------------	-----------

(I) “रक्षा” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः-

(का) “सेना” –

(क) “पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” के अंतर्गत – ₹140815.68 लाख की बचत (₹10919577.24 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने के कारण हुई।

(ख) “छुट्टी नकदीकरण” – ₹34385.41 लाख की बचत (₹405564.76 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में सेवानिवृत्ति, कम मृतक मामले होने और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में कम छुट्टी होने के कारण हुई।

(खा) “नौसेना” –

(क) “छुट्टी नकदीकरण” – ₹6920.72 लाख की बचत (₹29260.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में सेवानिवृत्ति होने तथा सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के खातों में कम छुट्टी होने के कारण हुई।

(ख) “पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” – ₹126960.58 लाख की बचत (₹694133.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “वायु सेना” –

(क) “पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” – ₹238271.88 लाख की बचत (₹1262529.01 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अतिरिक्त महंगाई राहत का स्थिरीकरण किए जाने के कारण हुई।

(I) Under “Defence” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Army” -

(a) “Pension and other Retirement Benefits” - saving of ₹140815.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10919577.24 lakhs) was due to freezing of additional dearness relief.

(b) “Leave Encashment” - saving of ₹34385.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹405564.76 lakhs) was due to less number of retirees, death cases and less leave at the credit of retirees.

(B) “Navy” -

(a) “Leave Encashment” - saving of ₹6920.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29260.25 lakhs) was due to less number of retirees and less leave at credit of retirees.

(b) “Pension and other Retirement Benefits” - saving of ₹126960.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹694133.75 lakhs); and

(C) “Air Force” -

(a) “Pension and other Retirement Benefits” - saving of ₹238271.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1262529.01 lakhs).

Savings under the above two heads were due to freezing of additional dearness relief.

(ख) “छुट्टी नकदीकरण” – ₹29036.95 लाख की बचत (₹68744.99 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में सेवानिवृत्ति होने, कम मृतक मामले होने तथा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में कम छुट्टी होने के कारण हुई।

(b) “Leave Encashment” - saving of ₹29036.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹68744.99 lakhs) was due to less number of retirees, death cases and less leave at credit of retirees.

4. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत ₹273.08 लाख के अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

4. The above savings were offset by an excess of ₹273.08 lakhs under one head constituting 16 percent of the sanctioned provision.
